न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 296/2018–19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

तरसियुस डोडराय – विक्रेता

दयामनी मुक्ता कोनगाड़ी – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
01.12.20	(see below)	

आदेश

आवेदक तरसियुस डोडराय पिता स्व0 दोमनिक डोडराय ग्राम–ओसकेया, पो0–गनालोया, थाना मुरहू, जिला खूँटी ने दयामनी मुक्ता कोनगाड़ी पिता फिलिप कोनगाड़ी ग्राम–तोनेर, पो0–गनालोया, थाना मुरहू, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
इड्डे	250	52	37	0.20

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं0 034759 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 734 दिनांक 05.08.19 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री केवाला पट्टा सं0–1289/1253 दिनांक 18.10.2011 से क्रय की गयी है। खतियानी रैयत का नाम हालु मुण्डा वैगरह हैं। पंजी II के अनुसार तरसियुस डोडराय के नाम भूमि का रकबा 0.20 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 0.20 एकड़ भूमि के आलावे अन्य मौजा ओस्केया में 5.18 एकड़ भूमि कुल रकबा 5.38 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2015–16 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित दर 3499.00(तीन हजार चार सौ निनानब्बे)विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 5.18 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना मुरहू के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदक क्रेता–विक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

क्रेता द्वारा समर्पित शपथ पत्र सं0– 273 दिनांक 26.08.2019 के अनुसार वर्त्तमान में दयामनी मुक्ता कोनगाड़ी अविवाहित है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, मुरहू से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण तरसियुस डोडराय पिता स्व0 दोमनिक डोडराय को दयामनी मुक्ता कोनगाड़ी पिता फिलिप कोनगाड़ी के साथ ग्राम इड्डे के खाता सं0 52 खेसरा संख्या 37 कुल रकबा **0.20** एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 3499.00(तीन हजार चार सौ निनानब्बे)रू0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

01/12/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

01/12/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।